भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय कोषाधिकारी 01 JAN 2025 झुन्झुनू (राज0)

राजस्थान RAJASTHAN

BU 544247

AFFIDAVIT

1. I Mr. Ajit Kumar S/o Dhan Singh Registrar of the Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University age 35 years Residence VPO-Surpura Kalan, Teh-Loharu, Haryana.
2. That the Shri Rajasthani Seva Sangh Mumbai Trust is in possession of land as per the following description.

   2.1 Total area of the Land: 121406sq.mtr.
   Total Built up Area: 7750.5 Sq. Mtr.

   2.2 Address :Jhunjhunu- Churu Road
   Khasra Number: 173
   District: Jhunjhunu
   Village/Town/City: Chudela
   State: Rajasthan

   Bounded by :
   North: Agriculture Land (ख.नं० 173 का शेष रकबा)
   South: Agriculture Land (मुख्य सड़क झुन्झुनू-बिसाऊ)
   East: Agriculture Land (ख.नं. 168,167,166)
   West: Agriculture Land (ख.नं0 173 का शेष रकबा)

   Registered at office of Collector, District- Jhunjhunu (Raj.)

3. That the land is on ownership Basis /lease from government for a minimum period of 99 years.
4. That the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. क्रमांकः प.12(3) (27) राज/2004/972030 Dated 13.6-2006 and a copy thereof is enclosed.
6. That the said premises shall not be used for running any educational Activity/institution, other than the teacher education programme for which recognition is Being sought.
7. The the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the Institution for general public.
8. I do hereby swear that my declaration under Para's (1) to (6) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of Affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

Signature: ______________________

Name of the Applicant: Mr. Ajit Kumar

Address: Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela, District: Jhunjhunu, State Rajasthan, Pin Code-333001

Tel: 8104883420

E-mail address: registrar@jjtu.ac.in

Place: Chudela, Jhunjhunu

Date: 15/01/2025

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
SURENDRA KUMAR BHUPESH
JHUNJHUNU (RAJ.)

प्रतिलिपि क्रम संख्या 1405 दिनांक 15/1/25

मुद्रांक वेण्डर म क्रय संख्या 6 [illegible]

मुद्रांक क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम [illegible] प्रयोजन

पता

हस्ते की दशा में हस्ते का नाम व पता

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क पर प्रभारित अधिभार
1. राजस्थान आधारभूत सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) – 10 प्रतिशत रुपये 15
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)/ प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु – 20 प्रतिशत रुपये [illegible]

कुल योग – रुपये [illegible]

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर
स्टाम्प वेण्डर अनुज्ञा पत्र संख्या /2024-25
काशीराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह

348

अनुसूचि

आदेश क्रमांक प–2/(80)राज/ग्रुप–3/05 दिनांक 22–3–2006 तथा संशोधित आदेश क्रमांक प–2/(80)राज/ग्रुप–3/2005 दिनांक 25–3–2006 के द्वारा ग्राम चुड़ेला तहसील झुन्झुनूं उपतहसील मलसीसर में स्थित भूमि गैर मुमकिन चारागाह में से 30 एकड़ भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह से खारिज कर ग्राम चुड़ेला में स्थित भूमि खसरा नं–173 में से 13 एकड़(5.266 हैक्टेयर) व खसरा नं–194 में से 17 एकड़(6.886 हैक्टेयर) कुल किता 2 कुल रकबा 30 एकड भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु श्री राजस्थानी सेवा संघ मुम्बई को निम्न चतुर्थ सीमा की राजकीय स्वीकृति प्रदान की है :

खसरा नम्बर 173 की चतुर्थ सीमा		ख0नं0 194 की चतुर्थ सीमा	
पूर्व	:ख0नं0168,167,166.	पूर्व में	: ख0नं0 194 का शेष रकबा
पश्चिम	:ख.नं0 173 का शेष रकबा	पश्चिम में	: ख0नं0 194 का शेष रकबा
उत्तर	:ख.नं0 173 का शेष रकबा	उत्तर में	: मुख्यसड़क झुन्झुनू–बिसाऊ तथा ख0नं0 172.
दक्षिण	:मुख्य सड़क झुन्झुनू–बिसाऊ	दक्षिण में	: ख0नं0 204,199,195,190

राजस्थान सेवा संघ मुम्बई
जरिए अध्यक्ष

For Shri Rajasthani Seva Sangh,
President.

जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

संधा दस्तावेज सही।
उप पंजीयक मलसीसर

असल से मिलान किया
TRUE COPY
हस्ताक्षर

प्रमाणित प्रतिलिपि
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्टर झुन्झुनूं

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
B.S. GAJRAJ
JHUNJHUNU (RAJ.)

SHRI JAGDISHPRASAD JHABARMAL TIBREWALA UNIVERSITY
REGISTRAR
DIST. JHUNJHUNU

407

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांकः प.12(3)(27)राज/2004/27230 दिनांकः– 13.6.2006

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर ने पत्र कमांक प.2(80)राज/ग्रुप–3/05 दिनांक 6–5–06 के द्वारा आदेश/निर्देश दिये गये हैं कि राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत आवंटित भूमि की संपरिवर्तन की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन नियम, 1992 के तहत की जावेगी । विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है, जो 1992 के नियम–2 (जे) के तहत पब्लिक यूटिलिटी मे आयेगा, जिसके कन्वर्जन पर कोई भी प्रीमियम देय नहीं होगा तथा श्री राजस्थानी सेवा संध, मुम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1992 के नियम –5 के तहत चेरिटेबल संस्थाओं के लिए 1/– रू0 प्रति वर्गगज की दर से जो संपरिवर्तन राशि का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से इस प्रकरण में भी संपरिवर्तन शुल्क राशि वसूल की जावेगी । अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें ।

उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू ने पत्र कमांक 262 दिनांक 24–4–06 के द्वारा अपनी अभिशंषा के साथ ग्राम चूड़ेला में स्थित भूमि ख0न0 173 व 194 कुल रकबा 12.14 है0 (30 एकड़) उक्त संस्था के लिए संपरिवर्तन के प्रस्ताव दिये हैं । तहसीलदार, झुंझुनू ने भी उक्त संपरिवर्तन के लिए आपत्ति नहीं की है । सरपंच, ग्राम पंचायत चूड़ेला ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त प्रयोजनार्थ उक्त संस्था के लिए दिया है ।

उक्त राज्य सरकार उक्त आदेश/निर्देश की पालना में उक्त संस्था ने जरिये चालान संख्या 81 दिनांक 12–6–06 से 1,45,200/– रू0 राजकोष में जमा कराये हैं।

राज्य सरकार के उक्त आदेश/निर्देश की पालना में ग्राम चूड़ेला में स्थित भूमि ख0न0 173 में से 13 एकड़ (5.266 है0) एंव ख0न0 194 मे से 17 एकड़ (6.886 है0) कुल किता 2 कुल रकबा 30 एकड़ श्री राजस्थानी सेवा संध, मुम्बई को स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय की स्थापना, निर्माण एंव खेल मैदान हेतु राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत संपरिवर्तित एत्तद्वारा की जाती है । आवंटित भूमि का मानचित्र इस आदेश का भाग रहेगा ।

उक्त आदेश की पालना में निम्न शर्तो की पालना उक्त संस्था को करनी होगीः–

1. उक्त अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा ।
2. उक्त संस्था इस आदेश के जारी होने की तिथी से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा

REGISTRAR
SHRI JAGDISHPRASAD JHABARMAL TIBREWALA UNIVERSITY, DIST. JHUNJHUNU

प्रत्याहृत कर ली जावेगी और संस्था द्वारा जमा कराई गई उक्त राशि राजहक में जप्त हो जावेगी ।

3. उक्त संपरिवर्तन प्रयोजन से भिन्न उक्त भूमि अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जावेगी ।

4. उक्त संस्था को राज्य सरकार द्वारा भविष्य में समय–समय पर जो भी आदेश/निर्देश दिये जायेगें उनकी पालना करनी होगी अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य सरकार, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग तथा इंडियन रोड़ काग्रेस द्वारा जारी सभी आदेशों व परिपत्रों एंव सभी मापदण्डो तथा इनके द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की पालना उक्त संस्था द्वारा निश्चित रूप से करनी होगी ।

जिला कलक्टर, झुंझुनू
दिनांक:– 13-6-2006

क्रमांक: सम/ 2720-30

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप–3 विभाग राज0 जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(80) राज /ग्रुप–3/05 दिनांक 6–5–06 के संदर्भ में ।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा ।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 झुंझुनू ।
4. उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू ।
5. तहसीलदार, झुंझुनू को भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें ।
6. विकास अधिकारी, पं0स0 अलसीसर ।
7. नायब तहसीलदार, मलसीसर ।
8. सरंपच, ग्राम पंचायत चूड़ेला ।
9. श्री विनोद टिबड़ेवाला, अध्यक्ष श्री राजस्थानी सेवा संध, जमनालाल बजाज नगर, श्री निवास बगड़ का मार्ग, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई ।
10. आदेश/ रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर, झुंझुनू

SHRI JAGDISHPRASAD JHABARMAL TIBREWALA UNIVERSITY
REGISTRAR
VIDYANAGARI, DIST. JHUNJHUNU